न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 20/2025 तारीख रजू:— 01.12.2025

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गुर्जर

R.A.S.

लच्छोदेवी पत्नी ऊंकार सिंह जाति माली निवासी जहानाबाद तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली राजस्थान ———————————————————प्रार्थीया

बनाम

तहसीलदार तहसील कार्यालय श्रीमहावीरजी जिला करौली राजस्थान ——— अप्रार्थी

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 128—111 एल.आर.एक्ट
बाबत कराये जाने पत्थरगढी

उपस्थित :— 1. श्री पी0एल0 गोयल एडवोकेट प्रार्थीया

निर्णय

दिनांक :—06.01.2026

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128—111 एल.आर. एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि सायला की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी खसरा नम्बर 397 रकवा 29 ऐयर, खसरा नम्बर 398/2 रकवा 22 ऐयर, खसरा नम्बर 755/1091 रकवा 16 ऐयर, कुल किता 03 कुल रकवा 67 ऐयर स्थित ग्राम जहानाबाद तहसील श्रीमहावीरजी है तथा उक्त आराजीयात में सायला सम्पूर्ण हिस्से की खातेदार काश्तकार है एवं काबिज व दखील होकर उसका उपयोग उपभोग करती चली आ रही हैं तथा उक्त आराजीयात से अन्य किसी व्यक्ति का कोई सम्बंध व वास्ता किसी प्रकार का नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 में दर्ज किया है कि सायला का खेत खसरा नम्बर 755/1091 रकवा 16 ऐयर रास्ते के लगवां होने से खेत में आवारा जानवर प्रवेश कर जाते हैं, जिससे आए दिन उक्त खेत की डौलमेंड़ के अलावा उसमें खड़ी फसल में नुकसान होता रहता है तथा सायला अपने उक्त खसरे की भूमि की सीमाएं निश्चित नहीं होने से भूमि पर तारबंदी व पत्थरगढ़ी नहीं कर पाने के कारण उसे काफी आर्थिक क्षति हो रही है। इस सम्बंध में सायला के द्वारा तहसीलदार हिण्डौन के समक्ष भूमि का सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी करने के लिए दिनांक 10.11.2025 को निवेदन किया तो उन्होंने इस सम्बंध में श्रीमान न्यायालय में चाराजोही करने के लिए कहा। इसलिये सायला की भूमि खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

775/1091 रकवा 16 ऐयर स्थित ग्राम जहानाबाद, तहसील श्रीमहावीरजी का मौके पर सीमाज्ञान कराकर पत्थरगढी कराया जाना कानूनन आवश्यक एवं न्याय संगत है, ताकि मौके पर भूमि की स्थिति स्पष्ट होकर सायला उसमें तारबंदी या पत्थरगढ़ी कर खेत में जानवरों से होने वाले नुकसान से बचाव करते हुए भूमि का शांतिपूर्ण तरीके से उपयोग उपभोग कर सके।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि ग्राम जहानाबाद, तहसील श्रीमहावीरजी, जिला करौली में स्थित है, इसलिये उक्त प्रकरण की सुनवाई का श्रीमान को क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 4 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र नीयत शुल्क 2 रुपये पर अंदर अवधि पेश है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर सायला की खातेदारी व उपयोग उपभोग की भूमि आराजी खसरा नम्बर 775/1091 रकवा 16 ऐयर, स्थित ग्राम जहानाबाद, तहसील–श्रीमहावीरजी का सीमाज्ञान कराया जाकर पत्थरगढ़ी करवाये जाने के गैरसायल को आदेश प्रदान करें और इस हेतु गैरसायल को तहरीर जारी फरमायी जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने पत्रांक भूअ/2025/1420 दिनांक 17–12–25 जबाव पेश कर अवगत कराया है कि वाद पत्र में वर्णित तथ्यों की जॉच पटवारी हल्का ईरनिया व भू०अभि० निरी० पटोंदा तहसील श्रीमहावीरजी से कराई गई पटवारी हल्का ईरनिया की रिपोर्ट अनुसार बिन्दूवार जबाब निम्न प्रकार है:–

जवाब प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 में दर्ज किया है कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड ग्राम जहँानाबाद के खसरा नम्बर 397 रकवा 0. 29 हैक्ट. 398/2 रकबा 0.22 हैक्ट. 775/1091 रकबा 0.16 हैक्ट. कुल किता 3 रकबा 0.67 हैक्ट. लक्ष्छो देवी पत्नि ऊँकार सिंह हिस्सा पूर्ण जाति माली सा0 ग्राम राहिन ओबीसी शाखा हिण्डौन दर्ज रिकॉर्ड है।

जवाब प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 में दर्ज किया है कि मुताबिक राजस्व नक्शा खसरा नम्बर 775/1091 रकबा 0.16 हैक्ट, गै. मु.रास्ता खसरा नम्बर 792 रकबा 0.04 के समीप है जो कि बद्री प्रसाद बगै. की खातेदारी में दर्ज है।

जवाब प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 में दर्ज किया है कि वादी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पत्थरगढी बाबत श्रीमानजी को प्रस्तुत किया है वादी खसरा नम्बर 775/1091 रकबा

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

0.16 हैक्ट. स्थित ग्राम जहानाबांद का सीमाज्ञान कराकर पत्थरगढी कराना चाहता है मुताबिक रिपोर्ट पटवारी व भू०अभि० निरी० मौके पर विवाद होने के कारण पर्याप्त पुलिस जाप्ता वांछित है।

प्रार्थीया ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2073–76 पेश की हैं।

वकील प्रार्थीया उपस्थित। वकील प्रार्थीया की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है तथा प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

वकील प्रार्थीया की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2073–76 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 397 रकबा 0.29 है0, 398/2 रकबा 0.22 है0, 775/1091 रकबा 0.16 है0 वाके ग्राम जहानावाद तहसील श्रीमहावीरजी की खातेदारी लच्छोदेवी पत्नि ऊँकारसिंह हिस्सा पूर्ण जाति माली सा0 ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि प्रार्थीया विवादित आराजी 775/1091 रकबा 0.16 है0 वाके ग्राम जहानावाद तहसील श्रीमहावीरजी की खातेदार काश्तकार है तथा अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 775/1091 रकबा 0.16 है0 वाके ग्राम जहानावाद तहसील श्रीमहावीरजी का विधिवत रूप से सीमाज्ञान कराते हुए पत्थरगढी कराने की अधिकारी है। इसलिए उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 775/1091 रकबा 0.16 है0 वाके ग्राम जहानावाद तहसील श्रीमहावीरजी का सीमाज्ञान करते हुए पत्थरीगढी कराने के आदेश तहसीलदार श्रीमहावीरजी को दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अप्रार्थी ने अपने जबाव प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी कराते समय मुताबिक रिपोर्ट पटवारी व भू०अभि० निरी० मौके पर विवाद होने के कारण पर्याप्त पुलिस जाप्ता वांछित है। ऐसे हालात में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128–111 एल.आर. एक्ट स्वीकार योग्य न्यायोचित है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128–111 एल.आर.एक्ट बावत करवाये जाने पत्थरगढी खिलाफ अप्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार श्रीमहावीरजी को आदेश दिये जाते हैं कि आप मौके पर पहुँचकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 775/1091 रकबा 0.16 है0 वाके ग्राम जहानावाद तहसील श्रीमहावीरजी का मौके पर सीमाज्ञान करवाते हुए नियमानुसार पत्थरगढी करावें, सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी की कार्यवाही करने से पूर्व तारीख एवं समय निश्चित करते हुए प्रार्थीया को मौके पर उपस्थित रहने हेतु

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

नोटिस जारी करें। सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी कराते समय यदि तहसीलदार श्रीमहावीरजी को यह अंदेशा हो कि मौंके पर आम शान्ति भंग हो सकती है तो ऐसी स्थिति में नियमानुसार पुलिस जाप्ता की मांग कर सकता है। प्रार्थीया को आदेशित किया जाता है कि सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी की नियमानुसार फीस तहसीलदार श्रीमहावीरजी के यहॉं 7 दिवस में जमा करावें। पालना रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमहावीरजी एक माह में इस न्यायालय में पेश करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार श्रीमहावीरजी को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिंनाक 06.01.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

6/1/26

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)